(9)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 72/2020

रामसिंह पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल, ग्राव इण्डाली, तहसील व जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 22.10.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 16.09.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 72/2020 पर दिनांक 16.09.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/1380–1381 दिनांक 16.09.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/2020/86 दिनांक 21.10.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भू–प्रबन्ध विभाग सीकर तथा तहसील झुंझुनूं की संयुक्त टीम द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 14.11.2018 की प्रमाणित प्रति चाही गई थी जो इस कार्यालय के पत्र कमांक आरटीआई/2020/84 दिनांक 16.10.2020 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक आरटीआई/2020/86 दिनांक 21.10.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भू–प्रबन्ध विभाग सीकर तथा तहसील झुंझुनूं की संयुक्त टीम द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 14.11.2018 की प्रमाणित प्रति चाही गई थी जो उनके कार्यालय के पत्र कमांक आरटीआई/2020/84 दिनांक 16.10.2020 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 22.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
22/10/2020